हैदराबाद में 13 अगस्त, 2020 को पूर्वाह्न 11 बजे आयोजित
प्राधिकरण की 109वीं बैठक के कार्यवृत्त

MINUTES OF THE 109th MEETING OF THE AUTHORITY

held on 13th August, 2020 at 11 AM at Hyderabad

उपस्थित/Present:

अध्यक्ष/Chairman	डॉ.सुभाष सी. खुंटिया/Dr. Subhash C. Khuntia
पूर्णकालिक सदस्य/Whole-time Member	श्री प्रवीण कुटुंबे/Shri Pravin Kutumbe
पूर्णकालिक सदस्य/Whole-time Member	श्रीमती टी.एल.अलमेलु/Smt. T L Alamelu
पूर्णकालिक सदस्य/Whole-time Member	श्री के. गणेश/Shri K Ganesh
अंशकालिक सदस्य/Part-time Member	श्रीमती सुषमानाथ (वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से) /Smt. Sushama Nath (through VC)
अंशकालिक सदस्य/Part-time Member	श्री देबाशीष पंडा (वी.सी.के माध्यम से) /Shri Debasish Panda (through VC)

भी उपस्थित/Also present:

पदनामित अधिकारी/Designated Officer	श्री एम. पुल्ला राव, कार्यकारी निदेशक /Shri M. Pulla Rao, ED (General)

अध्यक्ष ने उपस्थित सदस्यों का गर्मजोशी से स्वागत किया। श्री अतुल कुमार गुप्ता, अंशकालिक सदस्य को अनुपस्थिति का अवकाश मंजूर किया। कोरम मौजूद था।
The Chairman extended a warm welcome to the Members present. Leave of absence was granted to Shri Atul Kumar Gupta, Part-time Member. The quorum was present.

कार्यसूची की मदों पर विचार-विमर्श शुरू किया गया।
The agenda items were then taken up for consideration.

4.अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा 1 जनवरी, 2020 से 31 मार्च, 2020 की अवधि में की गयी विदेश-यात्राओं का विवरण।

4. Statement of foreign tours undertaken by the Chairman and Members for the period from 1st January, 2020 to 31st March, 2020

प्राधिकरण द्वारा विवरण नोट किया गया।
The statement was noted by the Authority.

5.20 मार्च, 2020 से 24 जुलाई, 2020 तक जारी किये गये परिपत्रों/दिशा-निर्देशों की सूची।
5. List of Circulars/Guidelines issued from 20th March, 2020 to 24th July, 2020

प्राधिकरण ने जारी किये गये परिपत्र/दिशा-निर्देश नोट किये।
The Authority noted the circulars/guidelines issued.

6. 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए शुरू की गयी विनियामक कार्रवाइयों का विवरण।
6. Statement of regulatory actions initiated for the quarter ended 31st March, 2020

प्राधिकरण ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही के दौरान की गयी विनियामक कार्रवाईयों को नोट किया।
The Authority noted the regulatory actions taken during the quarter ending 31st March, 2020.

7. बीमा सलाहकार समिति का पुनर्गठन।
7. Reconstitution of Insurance Advisory Committee

प्राधिकरण ने बीमा सलाहकार समिति (आईएसी) की शेष अवधि के लिए अर्थात् 24 जुलाई, 2021 तक सिंडिकेट बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के स्थान पर बीमा सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी को शामिल करने के प्रस्ताव को सहमति प्रदान की, क्योंकि सिंडिकेट बैंक का कैनरा बैंक के साथ विलय कर दिया गया है।
The Authority agreed to the proposal to include MD & CEO, Central Bank of India as a Member of the IAC for the remaining term of the IAC, i.e., till 24th July, 2021 in place of MD & CEO, Syndicate Bank as Syndicate Bank has got merged with Canara Bank.

9.लाभांश मानदंड-इक्विटी शेयरों-अनुमोदित निवेश में छूट
9. Relaxation of Dividend criteria - Equity shares - Approved Investment

9.1आईआरडीएआई (निवेश) विनियम, 2016 के अनुसार (i) किसी कंपनी, जिसने तत्काल पूर्ववर्ती कम से कम निरंतर दो वर्षों के लिए अपने इक्विटी शेयरों पर लाभांश का भुगतान किया है। (ii) किसी सूचीबद्ध कंपनी के इक्विटी शेयरों, जिन पर तत्काल पूर्ववर्ती कम से कम निरंतर दो वर्षों के लिए कम से कम दस प्रतिशत लाभांश का भुगतान किया है, के अधिमान शेयरों/इक्विटी शेयरों में किसी बीमाकर्ता के निवेश को `अनुमोदित निवेश' के योग्य माना जाएगा। कोविड-19 महामारी और आर्थिक अवरोधों के कारण, बीमाकर्ताओं से लाभांश मानदण्डों में छूट के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं।
9.1 As per IRDAI (Investment) Regulations, 2016, the investments of an insurer in preference shares / equity shares will qualify as “Approved Investment” for (i) preference shares of any company which has paid dividend on its equity shares for at least two consecutive years immediately preceding; (ii) equity shares of any listed company on which not less than ten percent dividend has been paid for at least two consecutive years immediately preceding. Due to Covid-19 pandemic and economic disruptions, requests for relaxation in dividend criteria have been received from insurers.

9.2 कोविड-19 के मद्देनजर पूँजी के संरक्षण और वर्ष 2019-20 के लिए लाभांश के भुगतान के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकों और आईआरडीएआई के बीमाकर्ताओं को निर्देशों के दृष्टिगत, ऐसे मामले सामने आएँगे जहाँ आन्तरिक रूप से ठोस आधार वाली कंपनियाँ 2019-20 के लिए लाभांश घोषित नहीं कर सकती हैं। चूँकि, आईआरडीएआई (निवेश) विनियम, 2016 के अनुसार `अनुमोदित निवेश' की परिभाषा में पूर्ववर्ती निरंतर दो वर्षों में लाभांश का भुगतान अपेक्षित है, इस असामान्य स्थिति से निपटने के लिए `अनुमोदित निवेश' की परिभाषा के पुनरावलोकन की आवश्यकता है।
9.2 In view of the directions of RBI to the banks and of IRDAI to the insurers in the wake of Covid-19 for conservation of capital and for restriction on payment of dividends for the year 2019-20, there would arise cases where companies with intrinsically sound fundamentals may not issue dividend for 2019-20. Since the definition of “Approved

Investment" as per IRDAI (Investment) Regulations, 2016 requires payment of dividend in two consecutive years preceding, to take care of this abnormal situation, there is a need for a relook at the definition of "Approved Investment".

9.3 प्राधिकरण ने कार्यसूची मद पर विचार किया और ``अनुमोदित निवेश'' के अन्तर्गत अधिमान शेयरों और इक्विटी शेयरों में निवेशों को वर्गीकृत करने के लिए प्राधिकरण ने। अप्रैल, 2020 से प्रभावी एक वर्ष की अवधि अर्थात् 31 मार्च, 2021 तक विनियम 3(क)(4) और 3क(5) में अपेक्षित ``तत्काल पूर्ववर्ती निरंतर दो वर्षों के लिए'' के मानदण्ड के विकल्प स्वरूप ``तत्काल पूर्ववर्ती निरंतर 3 वर्षों में से 2 वर्षों के लिए'' का अनुमोदन किया।

9.3 The Authority considered the agenda item and approved substitution of the criteria of *"for at least 2 consecutive years immediately preceding"* required in Regulation 3 (a) (4) and 3 (a) (5) with *"for at least 2 years out of 3 consecutive years immediately preceding"* to classify Investments in Preference Shares and Equity Shares under "Approved Investment" with effect from 1st April, 2020 for a period of one year, i.e., till 31st March, 2021.

10. पूँजी के अन्य रूपों को जारी करना।

10. Issuance of Other Forms of Capital

प्राधिकरण ने 2020-21 की प्रथम तिमाही के दौरान बीमाकर्ताओं द्वारा पूँजी के अन्य रूपों को जारी करने के संबंध में विवरण नोट किया।

The statement on issuance of other forms of capital by the insurers during the first quarter of 2020-21 was noted by the Authority.

11.बीमा कंपनियों के शेयरों के स्थानान्तरण के संबंध में परिपत्र।

11. Circular issued on transfer of shares of the insurance companies

11.1यह स्पष्ट किया गया कि निम्नलिखित: (क) सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में : (i)प्रदत्त पूँजी के 1% और 5% के बीच इक्विटी की बिक्री के संबंध में स्थानान्तरणकर्ता का बीमाकर्ता को सूचित करना । (ii) 5% से अधिक स्थानान्तरण के लिए स्वानान्तरणकर्ता द्वारा आईआरडीएआई से पूर्व अनुमोदन लिया जाना। (iii) प्रारंभिक सीमाओं से अधिक स्थानान्तरण के लिए बीमाकर्ता के माध्यम से अनुरोध पेश करना; (ख) किसी वित्तीय वर्ष में संचयी स्थानान्तरणों को प्रारंभिक सीमाओं की गणना के लिए शामिल करना; (ग) यदि स्थानान्तर सांविधिक और विनियामक प्रावधानों के अनुसार या आईआरडीएआई के पूर्व अनुमोदन के बिना किये जाते हैं तो मतदान के अधिकारों का निलंबित किया जाना को रेखांकित करते हुये प्रवर्तकों/(प्रोमोटरों) शेयरधारकों द्वारा बीमा कंपनियों के शेयरों के स्थानान्तरण के संबंधी मुद्दों पर स्पष्टीकरण देते हुये आईआरडीएआई विनियम 10 (बीमा कंपनियों के शेयरों का स्थानान्तरण) विनियम 2015 के विनियम 10 के साथ पठित आईआरडीएअधिनियम, 1999 के अनुच्छेद 14 के उप-अनुच्छेद(1) के अंतर्गत 22 जुलाई, 2020 को एक परिपत्र जारी किया था।

11.1 It was explained that a circular was issued on 22nd July, 2020 under sub-section (1) of Section 14 of IRDA Act, 1999 read with Regulation 10 of IRDAI (Transfer of Equity Shares of Insurance Companies) Regulations, 2015, clarifying on the issues relating to transfer of shares of insurance companies by promoters/shareholders highlighting the following: (A) In case of listed companies: (i) Transferor to inform insurer on sale of equity between 1% and 5% of paid up capital, (ii) IRDAI's prior approval to be taken by the transferor for transfer beyond 5%, (iii) Submission of requests to be done through insurer for transfer beyond threshold limits; (B) Cumulative transfers in an FY to count for

reckoning threshold limits; (C) Voting rights to be suspended if the transfer is not as per the statutory and regulatory provisions or without the prior approval of IRDAI.

11.2 प्राधिकरण ने परिपत्र सं. आईआरडीए/एफएण्डए/सीआईआर/टीआरएसएच/195/07/2020 दिनांकित 22 जुलाई, 2020 को जारी करने की पुष्टि की।
11.2 The Authority ratified the issue of circular No. IRDA/F&A/CIR/TRSH/195/07/2020 dated 22nd July, 2020.

13.आईआरडीएआई (तृतीय पक्ष प्रशासक-स्वास्थ्य सेवाएँ) विनियम 2016 के अंतर्गत निहित प्राधिकरण की शक्तियों का प्रत्यायोजन।

13. Delegation of powers of the Authority vested under IRDAI (Third Party Administrator - Health Services) Regulations, 2016

13.1 यह निवेदन किया गया कि तृतीय पक्ष प्रशासकों(टी पी ए) को पंजीकरण का प्रमाण-पत्र (सीओआर) प्रदान करने की शक्ति, प्राधिकरण की 96वीं बैठक में अनुमोदित प्रत्यायोजन के अनुसार सदस्य के पास निहित है और वर्तमान प्रस्ताव टीपीए से संबंधित परिचालन कार्यों की प्रकृति के थे और सदस्य के पास निहित होने चाहिए।
13.1 It was submitted that the power to grant Certificate of Registration (COR) to Third Party Administrators (TPAs) vests with the Member as per delegation approved in the 96th meeting of the Authority and the current proposals were in the nature of operational functions related to TPAs, and should be vested with the Member.

13.2 प्राधिकरण ने कार्यसूची मद पर विचार किया और यथा प्रस्तावित प्रत्यायोजन को अनुमोदित किया।
13.2 The Authority considered the agenda item and approved the delegation as proposed.

18. **अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य विषय।**

18. Any other matter with the permission of the Chairman

श्रीमती सुषमा नाथ, अल्पकालिक सदस्य ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थितियों को आम जनता, पालिसीधारकों और भारतीय बीमा क्षेत्र के हित में निपटाने के लिए प्रभावी उपायों को संपादित करने में आईआरडीएआई के सक्रिय प्रयासों की सराहना की।
Smt. Sushama Nath, part-time Member, complimented the proactive approach of IRDAI in bringing about effective measures to handle situations arising out of Covid-19 pandemic in the interest of the public, the policyholders and the Indian insurance sector.

बैठक सभी सदस्यों के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुयी।
The meeting ended with a vote of thanks to all Members.

अध्यक्ष/CHAIRMAN